न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 114/2020, जिला सीकर

1. गणपत पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी ज्ञानपुरा गिरधारी सिंह का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर निर्णय दिनांक 31.01.2017

उपस्थित—

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक —13.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 31.01.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम ज्ञानपुरा गिरधारी सिंह का बास तहसील खण्डेला के आराजी खसरा नं. 844 व 845/2 के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से पटवारी हल्का के प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार खण्डेला ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर को रास्ता प्रस्ताव हेतु अभिशंसा की जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.01.2017 को उक्त खसरा नम्बरों में खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 31.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स गणपत पुत्र डूंगाराम जाति जाट द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 31.01.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम ज्ञानपुरा गिरधारी सिंह का बास तहसील खण्डेला के आराजी खसरा नं. 844 व 845/2 के अपीलांट खातेदार व काश्तकार है। तहसीलदार खण्डेला व पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही केवल तहसीलदार के प्रस्ताव को सत्य मानकर रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है। विवादित भूमि पर प्रार्थी की फसल खडी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू—राजस्व अधिनियम

Scanned by CamScanner

के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2017 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 31.01.2017 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार खण्डेला ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 18.02.2020 को प्राप्त होना बताया गया है एवं लोकडाउन होने के कारण न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् पर मनन किया गया। पटवारी व तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता चालू है एवं मौके पर प्रचलित है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र 2016 एवं 2021 में दिए गए निर्देशानुसार ही तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है। इसमें खातेदारी की भूमि कम नहीं की गई है केवल राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन राज्य सरकार के निर्देशानुसार दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर का निर्णय दिनांक 31.01.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner